

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	---------------------------------	---

4.5.18

पत्रावली आज लोक अदालत कम्य ~~अदालत~~ न्याय आपके द्वार खानपुर पेश हुई। पक्षकारान पार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। पार्थी द्वारा वादग्रस्त धाराजी मौजा आदरश के खण्ड 175, 176, 177, 178, 179 जुमले रकबा 283 ई० में अग्रथीगण के विकल्प अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का प्रथमापज पेश किया। हमने प्रकरण अवलोकन किया वादग्रस्त आराजी सामलती आराजी राज्य रिकॉर्ड में दर्ज है एवं न्यायालय हाजा में रिकॉर्ड दुखलु व विभाजन का वाद विचारार्थ है जो लाइय न्यायिक अनुधार विधि लामन निर्णय पारित किया जावेगा ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी सामलती अधिकाधिक आराजी होने से पार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष का अधिकारी प्रतीत नहीं होता है। अतः पार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रथमापज खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4.5.2018 को लोक अदालत कम्य खानपुर सुनाया गया। मिसल फॉल्लोअप होगा

उपस्थित पक्षकारान पार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।  
 4/5/18

सहायक कलेक्टर, जसदल